IV 47/2020.

(8)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882240

सब रजिस्ट्रार देवबन्द

(सहारनपुर)

RADHEY SHYAM TANWAR
Adv.
Reg No. 3618/04 Ch No.
Vo Teacher Colony, Deoband
Mob. 09927751787

फोटो प्रमाणितकर्ता
RADHEY SHYAM TANWAR
Advocate
Reg.No.-3618/04 Ch No 6
Civil Court Deoband,(SRE.)
Vo Teacher Colony,Deoband
Mob. 09927751787

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड जुलाई माह की तिथि 26 सन् 2016 को **सोफिया एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर** के नाम घोषित किया गया। इनके संस्थापक **चौ0 शेर सिंह पुत्र श्री किरत सिंह निवासी ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर** है। संस्थापक चौ0 शेर सिंह पूर्णतयाः कल्याणकारी कार्यो में आस्था रखते है और सभी वर्गो के हितार्थ कार्य कर रहे है जो अंकन मुबलिग 10,000/–रू0 (दस हजार रूपये) से प्रारम्भ किया जा रहा है।

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882241

1– ट्रस्ट का नाम – सोफिया एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

2– ट्रस्ट के कार्यालय का पता – ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

3– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

4– ट्रस्ट के उददेश्य :–

1– भारत की एकता अखण्डता बनाये रखना।

2– अल्प संख्यकों विशेषकर पिछड़े वर्ग में अनुशासन, सदभावना और मेल–मिलाप को बढ़ावा देना तथा उनके कल्याण हेतु कार्य करना।

3– समाज के सभी वर्गो के बच्चों का सर्वागीण विकास हो सके। इसके लिये सभी क्षेत्रों में प्राईमरी स्त्र से लेकर उच्च स्तर तक हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू व अन्य सभी भाषाओं में सभी तरह के स्कूल, कालेज आदि की स्थापना करना व उनका प्रबन्धन और संचालन करना तथा विश्वविधालय की स्थापना करना।

4– ट्रस्ट द्वारा किये जा रहे कार्यो में धन की कमी होने पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंको, अर्द्ध सरकारी बैंको, सहकारी बैंको या अन्य किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण के रूप में धन प्राप्त करना।

5– निर्धन मेधावी छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था करना।

6– सम उददेश्य वाले ट्रस्टों आदि से सम्पर्क करना तथा ट्रस्ट के हितार्थ उनकी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करना व लीज पर लेना व विनिमय करना।

7– राज्य सरकार/भारत सरकार की योजनान्तर्गत सभी वर्गो के बच्चों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण संस्थान खोलना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882242

8– देश–विदेश एवं प्रदेश की सम–उददेश्य वाली संस्थाओं से उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पर्क स्थापित करना।

9– अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य करना।

10– केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार, निगम बोर्ड सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से तथा स्वंय से जनता के कल्याण हेतु उन्हे आत्मनिर्भर बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, हस्तशिल्प कला, वास्तु कला दरी कालीन, ड्राईंग पेंटिग कला प्रशिक्षण, टंकण आशुलिपि, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण दिलवाना तथा इनमे जागृति पैदा करना।

11– सभी वर्गो के बच्चों को इन्जीनियरिंग व मैडिकल व एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, पी0जी0डी0सी0ए0, बी0सी0ए0 व पी0जी0डी0एम0 व अन्य सभी व्यसायिक कोर्सो की निम्न स्तर से लेकर उच्च्व स्तर तक शिक्षा उपलब्ध कराना और इस कार्य हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।

12– जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश हेतु सरकारी योजनाओं में सहयोग करना।

13– एडस भंयकर बीमारी के ठोस उपायों पर विश्लेषण करना।

14– प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का वृद्धों की शिक्षा हेतु संचालन करना।

15– निर्धन एवं अनाथ व्यक्तियों और पिछडे वर्गो के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युनिसेफ, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन, विकास मंत्रालय, केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर नागरिकों का विकास करना और उनका जीवन स्तर उन्नत करना।

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

क्रमसं0 763 दिनांक 07/07/2020
शामिल नं0 761 किया गया
ह0 प्रदीप कुमार-स्टाम्प विक्रेता
ल/92-93 सिविल कोर्ट देवबन्द स0पुर

50/1

आवेदन सं०: 202000704005708

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 47	वर्ष: 2020

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

श्री शेर सिंह द्वारा
शेरसिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री कीरत सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम शीतला खेड़ा परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

श्री, शेर सिंह द्वारा
शेरसिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 08/07/2020
एवं 12:47:22 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
एम० के० त्यागी (प्रभ
उप निबंधक :देवबन
सहारनपुर
08/07/2020

देवबन्द सहारनपुर लि
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रू.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

4

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882243

16– बच्चों में खेलों की रूचि का सर्जन करने हेतु जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

17– बच्चों को विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के मानसिक विकास हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना तथा निर्धन व बेसहारा बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु कोचिंग सैन्टरों की स्थापना करना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।

18– शुद्ध वातावरण हेतु सभी समुदाय के व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरित करना।

19– नशामुक्ति हेतु कार्य करना तथा समाज को नशामुक्त करना।

20– अन्य वह कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति हेतु आवश्यक हो।

5– प्रतिबन्धों की बाध्यता –

क्या विभाग/शासन के निम्नलिखित प्रतिबन्ध आपको स्वीकार है –

प्रतिबन्धों –

1– विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विधालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करे तथा विधालय की सम्बद्धता

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

क्रम सं0 764 दिनांक 07/07/2020
शामिल नं0 761 विक्रय गया
ह0 प्रदीप कुमार-स्टाम्प विक्रेता
-/93 सिविल कोर्ट देवबन्द सहा0

50/1

आवेदन सं० : 202000704005708

बही स० : 4 रजिस्ट्रेशन स० : 47 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी : 1

श्री शेर सिंह के द्वारा शेरसिंह, पुत्र श्री कीरत सिंह

निवासी: ग्राम शीतला खेड़ा परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राधेश्याम तंवर, एडवोकट

निवासी: सिविल कोर्ट देवबन्द

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री रविंदर कुमार, एडवोकट

निवासी: सिविल कोर्ट देवबन्द

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

एम० के० त्यागी (प्रभारी)
उप निबंधक : देवबन्द
सहारनपुर

देवबन्द सहारनपुर लिपिक
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BW 882244

सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिलिंग फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामीनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5– संस्था द्वारा शिक्षण तथा शिक्षनेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निर्वत लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा यदि हॉ तो अपना प्रबन्धीकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रमशः 9 तक स्वीकार है।

9– ट्रस्ट के बाईलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्तन संशोधन नहीं किया जायेगा।

6– ट्रस्टीज के नाम व पतेः–

ट्रस्ट के ट्रसटीज की कुल संख्या 05 होगी जिसमें एक संस्थापक, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होगे तथा 02 ट्रस्टी होगें। वर्तमान में सभी आजीवन रहेगें और उनकी मृत्यु या किसी अन्य वजह से रिक्त होने वाली जगह पर उनके परिवार द्वारा घोषित कानूनी वारिस जिन्हें परिवार का समर्थन प्राप्त होगा वही रिक्त स्थान पर रखा जायेगा। यह परिवार की सहमति से होगा। यह परम्परा सदैव जारी रहेगी। ट्रस्टी

(13)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882245

संख्या संस्थापक अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार बढा सकता है तथा उनकी समय सीमा भी तय कर सकता है परन्तु इन्हे वोट का अधिकार नही होगा।

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम व पता	पद	व्यवसाय
1	शेर सिंह पुत्र श्री किरत सिंह निवासी ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल जिला सहारनपुर।	संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी	व्यापार
2	श्रीमति प्रमिला पत्नी चौ0 शेर सिंह निवासी ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल जिला सहारनपुर।	सचिव ट्रस्टी	व्यापार
3	कोणार्क पुत्र श्री एस. सिंह निवासी ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल जिला सहारनपुर।	कोषाध्यक्ष आजीवन	व्यापार
4	रोबिन चौधरी पुत्र श्री सतीश चौधरी निवासी ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल जिला सहारनपुर।	आजीवन ट्रस्टी	कृषक
5	यथार्थ पुत्र श्री ओमकरण सिंह निवासी ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल जिला सहारनपुर।	आजीवन ट्रस्टी	कृषक

Manager
Sofi... International School
Saharanpur

(14)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

7

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882246

ट्रस्ट की नियमावली

1– ट्रस्ट का नाम –	सोफिया एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट
2– ट्रस्ट के कार्यालय का पता –	ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।
3– सदस्यता –	1– आजीवन ट्रस्टी – जो ट्रस्टी ट्रस्ट को रू0 1100/–देगा वह ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी होगा। 2– साधारण सदस्य – जो ट्रस्टी ट्रस्ट को रू0 100/– वार्षिक देगा वह ट्रस्ट का साधारण ट्रस्टी होगा।
4– ट्रस्टीज की ट्रस्टीशिप की समाप्ति –	ट्रस्ट के ट्रस्टीज की ट्रस्टीशिप की समाप्ति निम्नलिखित दशा में होगी :– 1– मृत्यु होने पर। 2– दिवालिया होने पर। 3– पागल हो जाने पर। 4– किसी न्यायालय द्वारा कठोर कारावास से दण्डित किये जाने पर। 5– आवश्यक सदस्यता शुल्क न देने पर। 6– स्वंय त्याग पत्र देने पर।

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(15)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

8

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882247

7– ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

5– वित्तीय वर्ष – ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।

6– ट्रस्ट के अंग –

अ– ट्रस्ट बोर्ड

ब– ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी

<u>अ– ट्रस्ट बोर्ड –</u> ट्रस्ट का एक ट्रस्ट बोर्ड होगा जिसमे सभी प्रकार के ट्रस्टीज शामिल रहेंगे। वर्तमान में ट्रस्ट बोर्ड की संख्या 05 है जिसकी संख्या कभी भी संस्थापक अध्यक्ष द्वारा असिमित रूप से बढ़ायी जा सकती है।

<u>ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार एवं कर्त्तव्य</u>

1– आय–व्यय का वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

2– किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर अन्य ट्रस्टी की रिक्ति के स्थान पर नियुक्ति का अधिकार जिसमे संस्थापक अध्यक्ष की सहमति अवश्यक होगी।

3– ट्रस्ट की उन्नति के लिये राज्य सरकार/भारत सरकार आदि से दान–अनुदान प्राप्त करना तथा विधायक

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

9

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882248

निधि, सांसद निधि व अन्य वित्तीय संस्थाओं से दान–अनुदान प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट समाजसेवी संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त कर सकता है तथा अपनी उन्नति हेतु सरकारी व गैर सरकारी बैंको से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा इस कार्य के लिये अपनी अचल सम्पत्ति बंधक कर सकता है।

4– ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने पर किसी भी ट्रस्टी के विरूद्ध कार्यवाही करना यदि आवश्यक हो तो उसे हटाना। किसी भी ट्रस्टी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, परन्तु इस कार्य में संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

5– ट्रस्ट की उन्नति हेतु समय अनुसार ट्रस्ट के नियमों में 2/3 बहुमत से संशोधन करना।

6– अन्य वह कार्य करना जो समय अनुसार ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक हो।

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(17)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 882249

ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग –

ट्रस्ट बोर्ड की वार्षिक मीटिंग वर्ष में केवल एक बार होगी। आवश्यकता के अनुसार विशेष मीटिंग कभी भी बुलायी जा सकती है। साधारण मीटिंग की सूचना 10 दिन पूर्व पंजीकृत डाक, समाचार पत्र या व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व व्यक्तिगत/समाचार पत्र के रूप में दी जायेगी।

ब– प्रबन्धकारिणी

प्रबन्धकारिणी का गठन ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसमे एक संस्थापक अध्यक्ष, सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष तथा दो ट्रस्टी होंगे। प्रबन्धकारिणी की वर्ष में दो बैठके होंगी। विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है। सामान्य बैठक के लिये आठ दिन पूर्व सूचना पंजीकृत डाक व समाचार पत्र तथा विशेष बैठक के लिये दो दिन पूर्व व्यक्तिगत रूप से/समाचार पत्र से सूचना दी जायेगी।

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

1– ट्रस्ट का प्रबन्ध संचालन करना।

2– ट्रस्ट के लाभ के लिये चल व अचल

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(13)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रू.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

BW 88225

सम्पत्ति का क्रय–विक्रय ट्रस्ट बोर्ड के निर्देशानुसार करना।

3– वार्षिक बजट पास कराने हेतु ट्रस्ट की बैठक के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा आगामी बजट का ब्यौरा प्रस्तुत करना।

4– अन्य वह कार्य करना जो ट्रस्ट के हितार्थ समयानुसार आवश्यक हो।

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारीयों के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

(1)– संस्थापक अध्यक्ष :–

1– ट्रस्ट की सभी प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।

2– ट्रस्ट की प्रत्येक मीटिंग हेतु नोटिस जारी करना।

3– आवश्यक खर्च हेतु 20,000/–रूपये तक की धनराशि अपने पास रखना।

4– ट्रस्ट के प्रबन्धक संचालन हेतु सचिव को आवश्यक निर्देश देना।

5– ट्रस्टी को बनाने के लिये ट्रस्टी की रसीद जारी करना।

6– ट्रस्ट के सभी न्यायिक कार्यो में स्वंय अपने आप या अपने प्रतिनिधि से पैरवी करना।

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(19)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 788031

7– ट्रस्ट की ओर से अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय करना।

8– आय–व्यय के बाउचरों पर अपने हस्ताक्षर करना।

9– अन्य वह कार्य करना जो समयानुसार ट्रस्ट की उन्नति के लिये आवश्यक हो।

10– ट्रस्ट के प्रत्येक कार्य संस्थापक अध्यक्ष की सहमति से होंगे।

(2)– सचिव :–

1– ट्रस्ट हित के सभी प्रकार का पत्र व्यवहार अध्यक्ष के संज्ञान में लेकर करना व पत्राचार का रिकार्ड़ संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशानुसार रखना तथा संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करना।

2– ट्रस्ट की सभी तरह से मिलने वाले धन व उसके खर्च के हिसाब को अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सुव्यवस्थित रखना और प्रत्येक वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से होने वाली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

(3)– कोषाध्यक्ष :–

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(20)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 788032

1– कैश बुक लिखना तथा वाउचर्स का रख–रखाव करना।

2– ट्रस्ट की सभी तरह की चल सम्पत्ति आदि को संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशानुसार अपनी निगरानी में सुरक्षित रखना।

3– ट्रस्ट की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोषाध्यक्ष अपने पास 8,000/–रूपये रखेगा। आकस्मिक खर्च में होने वाले व्यय के बाउचर पर ट्रस्ट की अनिवार्य होने वाली बैठकों में अनुमोदनार्थ कार्य करना।

कोरम – ट्रस्ट के कुल ट्रस्टीज की संख्या का 2/3 होगा

संशोधन – कुल ट्रस्टीज की संख्या के 2/3 उपस्थिति से ट्रस्ट के नियमों में संशोधन किया जा सकेगा।

कानूनी कार्यवाही – ट्रस्ट की ओर से व ट्रस्ट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही संस्थापक अध्यक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा करना।

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(21)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 788033

धन प्राप्ति – ट्रस्ट अपनी तरक्की हेतु सरकारी, गैर सरकारी धन प्राप्त कर सकता है तथा स्वंय सेवी संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकता है।

ट्रस्ट का कोष – ट्रस्ट का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर, प्राईवेट लि0 बैंक में रहेगा तथा ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा और खाते का संचालन संस्थापक अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष में किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

अभिलेख – कार्यवाही रजिस्टर, एजेन्डा रजिस्टर, ट्रस्टीशिप रजिस्टर, कैश बुक, रसीद बुक व अन्य आवश्यक कागजात।

ट्रस्ट का विघटन – ट्रस्ट का विघटन विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा।

ट्रस्ट की सम्पत्ति – ट्रस्ट के पंजीयन शुल्क हेतु रू0 10,000/– की चल धनराशि उपलब्ध है इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है जिसके आधार

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

(22)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 15

BW 788034

पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

उपरोक्त को सोफिया एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम शीतला खेड़ा पोस्ट नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर (उ0प्र0) के दस्तावेज के सभी नियमों व उपनियमों को हम सभी ने सोच–समझकर स्वस्थ चित्त से ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है जिसकी तसदीक आज दिनांक 08.07.2020 को निम्न साक्षीगण की उपस्थिति में की गयी तथा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्ण बहुमत से संस्थापक अध्यक्ष चौ0 शेर सिंह को अधिकृत किया गया है।

रचियता –

RADHEY SHYAM TANWAR
Advocate
Reg.No.-3616/94 Ch No. 61
Civil Court Deoband (SRE.)
Vo Teacher Colony,Deoband
Mob. 09927751787

साक्षीगण :–

1– राधेश्याम तंवर एडवोकेट
सिविल कोर्ट देवबन्द जिला सहारनपुर।

2– रविन्द्र कुमार एडवोकेट
सिविल कोर्ट देवबन्द जिला सहारनपुर।

RADHEY SHYAM TANWAR
Reg.No. ...8/94.C...
Civil Co...
Mob. 09927751787

Manager
Sofiya International School
Nagal, Saharanpur

RADHEY SHYAM TANWAR
Advocate
Reg.No.-3616/94 ...